17.10.19 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उत्तरपक्ष सं-1 अधिवक्ता उत्तरपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि खेत खसरा संख्या 11 रकबा 68.10 बीघा भूमि का आवंटन कैम्प सांकड़ा ग्राम नेडाना पटवार हल्का नेडाना तहसील पोकरण किया गया। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया। आवंटन के बावजूद हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त वक्त आवंटन चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 24.07.2012 से प्रतिवादी के जवाब दावा हेतु वाद लंबित रहा, दिनांक 26.05.2017 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु लंबित था लेकिन प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया अपितु राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत ग्राम नेडाना में वाद विधि विरुद्ध जाकर निर्णीत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को भूमि का निमन नहीं

सं.प्र. 17.10.19

अपील पदाधिकारी केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म की तामील में जारी हुए हुक्म
17/10/19	के समक्ष रखकर पुनः आवंटन करने का आदेश दिया जो किसी भी सूरत में न्यायिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21/02/2018 को निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की थी दिनांक 23/02/18 को प्राप्त हुई तो उसी तारीख से अपील मय मियाद पेश हुई। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। पत्रावली मय मियाद कायम की जावे। राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलार्थी का कोई अधिकार नहीं है अतः किसी की हैसियत से खातेदारी देना नाजायज नहीं है। जबकि अपीलार्थी ने अपीलाधीन आराजी के कब्जे बाबत संबंधी दस्तावेज के समर्थन पर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। जबकि	10/19

राजस्व अपील पदाधिकारी कैम्प-जैसलमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/10/19	किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे। राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर है अपील मियाद बाहर पेश करने का कोई सद्भाविक कारण नहीं बताया है अतः अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे। सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णय पारित करना न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट नेडाणा में दिनांक 26/05/2017 को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत जारी पारित किया गया। अपीलार्थी अपील प्राधिकारी बाडमेर कैम्प जैसलमेर	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17.01.19	का का आवंटन की प्रक्रिया 1968 में सम्पूर्ण की गई आसानी से न कथित है। अधीनस्थ न्यायालय का वादी के पक्ष में किया गया आवंटन आज भी प्रभावी है। पत्रावली पर प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता है कि वादी / अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया है। अधीनस्थ आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी की अपील रिमाण्ड करने योग्य पाई जाती है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के प्रकरण संख्या 94/2012 में पारित आदेश दिनांक 26/05/2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य सबूत लेकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।
	[signature] 17.01.19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

राजस्व अपील पदाधिकारी बाड़मेर कैम्प-जैसलमेर

Scanned by CamScanner